सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 133/दावा/2023 दायरा दिनांक :– 21.09.2023

GCMS ID–2023/378

बउनवान

1. भोमा उर्फ भोमाराम आयु 65 वर्ष आत्मज श्री कॅवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवपुरा (गोकुलपुरा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज०)

वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र खाना जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
2. कैलाश पुत्र लखमा जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
3. गोपाल पुत्र लखमा जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
4. सरमा बाई पत्नि जगदीश जाति मीणा नि0 ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
5. विकास पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
6. कोमल पुत्री जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
7. फोरू पुत्र खाना जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
8. बद्री पुत्र लखमा जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
9. सॉवली पुत्री खाना जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा हाल देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. रामसिंह पुत्र हजारीलाल जाति मीणा नि0 ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
11. रूपचंद पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
12. नर्बदा पत्नि बाबूलाल पुत्री हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम चैनपुरिया तहसील हिण्डोली जिला
13. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी।
14. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

वकील वादी :– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर।
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :– 29/01/2026

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 76 की भूमि ख०स० 181 रकबा 0.5342 है०, ख०स० 182 रकबा 0.5827 है० एवं ख०स०

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

183 रकबा 0.3076 है० भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जिसको शामी का कुँआ भी बोलते है जो लगभग 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि है। पक्षकारान् के मुल पुरुष गणेश के दो पुत्र खाना व सालगा हुए। जिनका देहान्त हो चुका है। सालगा के पुत्र पुत्र कॅवरा (कूरा) का भी देहान्त हो चुका है। जिसका पुत्र वादी है तथा खाना के पुत्र लखमा, कल्याण, हजारी व फोरू व सॉवली पुत्री हुयी। जिनमें लखमा व हजारी का देहान्त हो चुका है। लखमा के वारिस प्रतिवादी कम 2. 3 व 8 है तथा प्रतिवादी कम 4 लगायत 6 मृतक पुत्र जगदीश की पत्नि व पुत्र, पुत्री है तथा हजारी के प्रतिवादी कम 10 लगायत 12 पुत्र व पुत्रीयाँ है। मु० पारी पत्नि खाना का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादीगण है तथा लाड़ पत्नि लखमा का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी 2, 3 व 8 है। वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि को वादी के पिता व दादा ने फाड़ तोड़ कर मेहनत से आबाद किया था और कृषि योग्य बना कर काश्त की और ताजिन्दगी काबिज रहे। वादी के पिता व दादा ने मिलकर उक्त भूमि के 800 गज पत्थरो का कोट लगाया तथा 800 गज भी 12 फीट उँचाई की पाल बनायी, जो उन्होने मेहनत कर आय अर्जित कर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया तथा ताजिन्दगी काबिज रहे। वादी अपने पिता के समय से ही भूमि पर काबिज होकर काश्तकारी करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि पर 70 हाथ गहरा कुँआ खुदवाया जिसमें पानी की मोटरे डली हुयी है और अपने नाम विद्युत विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है और वादी उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व परिवार का पेट पालन करता चला आ रहा है और काबिज काश्त है। उक्त वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि में उक्तानुसार बादी के पिता व दादा ने फाड तोड़ कर आबाद किया और कोट व मिट्टी की पाल लगायी लेकिन उक्त भूमि सहवन से प्रतिवादी 1 लगायत 12 के पिता खाना के खाते दर्ज हो गयी। तत्पश्चात् उक्त खाना व वादी के मध्य सम्वत् 2039 में समझौता हुआ और मिति कादी सुदी 3 सम्वत् 2039 को प्रतिवादीगण के पूर्वज उक्त खाना ने वादी से 14,000/—रू० प्राप्त करके रूबरू गवाहान वादी के हक में जमीन का समझौता राजीनामा निष्पादित कर अपनी अगूंठा निशानी कर दिये और फोटो चस्पा कर दिया और वादग्रस्त भूमि में अपने समस्त हक व अधिकार का त्याग कर दिया। जिससे प्रतिवादीगण भी पाबंद है और इस प्रकार वादी उक्त भूमि पर अपने पिता के जमाने से ही पिछले 50 वर्षों से पूर्ण होश हवास से काबिज चला आ रहा है और स्वामी है और काबिज काश्त है तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार बन चुका है और इसी अनुरूप अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

करवाने का अधिकारी है। वादी पिछले 50 वर्षों से अपने पिता के समय से ही प्रतिवादीगण की जानकारी में रहते हुए भूमि पर काबिज चला आ रहा है लेकिन उक्त खाना का देहान्त होने पर भूमि प्रतिवादीगण के नाम खाते दर्ज हो गयी और उनके मन में बदयांति आ गयी और वे वादग्रस्त भूमि के सबंध में वादी के स्वामित्व से भी इन्कार करने लग गये है। अभी हाल ही मे माह सितम्बर 2023 के द्वितीय सप्ताह में प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 ने वादी को ग्राम गोकुलपुरा में धमकी दी कि भूमि उनके नाम खाते दर्ज है और वह भूमि पर से कब्जा छोड़ दे और भूमि को रहन, बय करने की धमकी दी तो वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि तो वादी के पिता व दादा ने फाड तोड़ कर आबाद की है और तुम्हारे पूर्वज खाना ने भी उक्तानुसार राशि प्राप्त कर उक्त भूमि के सबंध में अपने समस्त हक व अधिकार वादी के पक्ष में छोड़े हुए है जिनसे आप पाबंद है लेकिन फिर भी नहीं माने और धमकी देकर चले गये, यही वाद कारण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र पेश कर वादग्रस्त भूमि में अंकित प्रतिवादीगण के नाम विलोपित करवा कर भूमि को अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करवा कर खातेदारी में दर्ज करावे और तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी इन्द्राज करावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावे कि वे वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल ना करे और शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल ना देवे और न ही भूमियो को रहन बय करे और प्रतिवादी कम 14 भूमि के सबंध में दस्तावेज इत्यादि का पंजीयन नहीं करे और न ही प्रतिवादी कम 13 कोई नामान्तरण इत्यादि ही तस्दीक करे। उक्त आशय की डिकी अपने पक्ष में प्राप्त करे। प्रतिवादीगण ने वादी को भूमियो से बेदखल करने की तथा रहन, बय करने की धमकी दी हुयी है और वादी भूमि पर काबिज है तथा उक्तानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार बन चुका है। वाद अतिआवश्यक प्रकृति का है। यदि प्रतिवादी कम 13 व 14 को वाद पूर्व निर्धारित अवधि का नोटिस दिया जाकर नोटिस की अवधि समाप्ति पर वाद पेश किया गया तो प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो जावेगे और वादी को बेदखल कर देगे तथा भूमियो को रहन, बय कर देगे ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कम 13 व 14 को वाद पूर्व निर्धारित अवधि नोटिस दिये बगैर वाद पेश करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी को भूमि से बेदखल करने व रहन, बय करने की धमकी माह सितम्बर 2023 के द्वितीय सप्ताह में देने पर उत्पन्न होकर निरन्तर न्यायालय की न्याय प्रभुत्त्व की सीमाओ के भीतर उत्पन्न होता चला आ रहा हैं। न्यायालय को न्याय प्रभुत्व प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि ग्राम गोकुलपुरा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से न्यायालय को वाद पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है व क्षेत्राधिकार है। वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर मय तलबाना सम्मन शुल्क सहित न्यायालय हाजा में अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित फरमायी जावे। वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमियो में अंकित प्रतिवादी कम 1 लगायत 12 का नाम विलोपित कर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी इन्द्राज करवाया जावे इस हेतु प्रतिवादी कम 13 को निर्देशित किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल ना करे और वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखल ना देवे और न ही भूमियो को रहन बय करे और प्रतिवादी कम 14 वादग्रस्त भूमियो के सबंध में किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे और न ही प्रतिवादी कम 13 कोई नामान्तरण इत्यादि ही तस्दीक करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को दिलवायी जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 बावजूद सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक :–27.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से व प्रतिवादी संख्या 13 व 14 फोरमल पक्षकार होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। प्रकरण में वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र व गोरधन मीणा, रामकुवार मीणा का शपथ पत्र व जमाबंदी खाता संख्या 76 ग्राम गोकुलपुरा, पंचानामा ग्राम गुढा गोकुलपुरा दिनांकः–19.07.2023, छायाप्रति विद्युत कनेक्शन बिल, सत्यप्रतिलिपि मौका रिपोर्ट ग्राम गोकुलपुरा दिनांकः–08.07.2024, छायाप्रति निर्णय दिनांक 18.06.2025 न्यायालय तहसीलदार हिण्डोली प्रकरण संख्या 2/23 कल्याण बनाम भोमा एवं असल राजीनामा पानन्डी मिति काती सुदी 3 सम्वत् 2039 पेश किये जो शामिल मिसल है।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खाता संख्या 76 के खसरा संख्या 181 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 182 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, खसरा संख्या 183 रकबा 0.3076 हैक्टेयर ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा में स्थित है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमियों को वादी के दादा व पिता ने नाबाद

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

से फाड तोड कर कृषि भूमि बनाई थी। हमारे पूर्वज गणेश के दो पुत्र खाना व सालगा थे। सालगा का पुत्र कंवरा उर्फ कूरा था, जिनका देहान्त हो गया है। हम उनके पुत्र है। उक्त भूमियॉ हमारे पूर्वजों ने ही काबिज काश्त बनाई थी व उनके जीवनकाल से ही निरंतर काबिज होकर चले आ रहे है। विवादित भूमि पर हमारे पूर्वजों द्वारा पत्थर का कोट व मिट्टी की पाल बनाई हुई है। संहवन से उक्त भूमियो में हमारे पूर्वजों का नाम दर्ज नहीं होकर केवल खाना का नाम ही दर्ज हो गया है। भूमियों पर हमने कुँआ खुदवाया हुआ है व विद्युत कनेक्शन ले रखा है। विवादित भूमियों में हमारा हक व अधिकार नियत होने की जानकारी प्रतिवादीगण के पूर्वज खाना को होने से उसके द्वारा मिती काति0 सुदी 3 सम्वत 2039 में 14000/रू प्राप्त कर चौपनी में राजीनामा निष्पादित कर अपना फोटो व अंगूठा निशानी अंकित की है, जिसमें विवादित भूमियों में आगे खाना के वारिसान का कोई हक व अधिकार नहीं होना अंकित किया है। उक्त भूमि गलती से खाना के नाम दर्ज होना अंकित है। विवादित भूमियों में हमारे पूर्वज व हम निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस बाबत न्यायालय तहसीलदार हिण्डोली में दर्ज प्रकरण 2/23 बउनवान कल्याण बनाम भोमा अन्तर्गत धारा 183 बी में दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत पटवार हल्का जॉच रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 181, 182, 183 में वादी भोमा पिता कंवरा का कब्जा काश्त होना अंकित है, जो कि उसके द्वारा क्रय करना बताया है। हमने सालगा पुत्र कूरा द्वारा हमारे पक्ष में लिख गए राजीनामें को न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत कोटा को से मुद्रांकित करवाया हुआ है फिर भी यदि विवादित भूमि बाबत कोई राजकीय राशि जमा होनी है तो उसे हम जमा करवाने को तैयार है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 181, 182, 183 को वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1/12 का उक्त खसरा नम्बरों में से नाम विलोपित किये जाने की डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि खाता संख्या 76 के खसरा संख्या 1308, 1471, 181, 182, 183 ग्राम गोकुलपुरा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें में से खसरा संख्या 181, 182, 183 पर वादी का कब्जा होने व भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों से राजीनामा अनुसार क्रय करने से खातेदारी घोषणा चाही है। पत्रावली में उपलब्ध शपथ–पत्रों व दस्तावेजों एवं वादी के पक्ष में निष्पादित राजीनामा प्रपत्र अनुसार विवादित भूमि वादी के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादी निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी के हिस्से व अधिकार की होने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

से व सालगा के नाम संहवन से खाते दर्ज हो जाने से स्वयं सालगा द्वारा 14000/रू प्राप्त कर उक्त भूमियों में निहित अपने समस्त अधिकार भोमा के पक्ष में अंतरित कर दिए जाने से अब विवादित भूमियों में सालगा व उसके वारिसान का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है। वादी द्वारा उक्त समझौता राजीनामा चौपनी को मुद्रांकित करवाया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के तथ्यों का कोई खण्डन पेश नहीं करने से वादी की साक्ष्य अखण्डित रही है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 76 के खसरा संख्या 181 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 182 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, खसरा संख्या 183 रकबा 0.3076 हैक्टेयर ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम को विलोपित कर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खसरा संख्या 1308, 1471 प्रतिवादीगण की खातेदारी में यथावत रहेगें। तहसीलदार हिण्डोली भूमि बाबत यदि कोई स्टाम्प ड्यूटी/राजकीय राशि जमा होना अपेक्षित हो तो वादी से उक्त राशि जमा करवाए जाने के उपरान्त ही इसी अमर का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखित दफतर हो।

निर्णय आज दिनांकः—29.01.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली
बइजलास श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

बउनवान

1. भोमा उर्फ भोमाराम आयु 65 वर्ष आत्मज श्री कॅवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवपुरा (गोकुलपुरा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज०)

वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र खाना जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
2. कैलाश पुत्र लखमा जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
3. गोपाल पुत्र लखमा जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
4. सरमा बाई पत्नि जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
5. विकास पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
6. कोमल पुत्री जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
7. फोरू पुत्र खाना जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
8. बद्री पुत्र लखमा जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
9. सॉवली पुत्री खाना जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा हाल देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. रामसिंह पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
11. रूपचंद पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली।
12. नर्बदा पत्नि बाबूलाल पुत्री हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्रामचैनपुरिया तहसील हिण्डोली जिला
13. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी।
14. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

दावा धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

मुकदमा नम्बर :– 133/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस. व हाजिरी श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर मिजानिब मुदई व एकतरफा मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 76 के खसरा संख्या 181 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 182 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, खसरा संख्या 183 रकबा 0.3076 हैक्टेयर ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम को विलोपित कर वादी का नाम राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खसरा संख्या 1308, 1471 प्रतिवादीगण की खातेदारी में यथावत रहेगें। तहसीलदार हिण्डोली भूमि बाबत यदि कोई स्टाम्प ड्यूटी/राजकीय राशि जमा होना अपेक्षित हो तो वादी से उक्त राशि जमा करवाए जाने के उपरान्त ही इसी अमर का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :– 29.01.2026 को जारी की गई।

29/01/2026

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मोहर न्यायालय

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हूक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3	00	मीजान	0	00

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446